गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰सईद): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार, संयुक्त पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् इसकी जनसंख्या के आधार पर वित्तीय परिसम्पत्तियों में से 7.9 प्रतिशत हिस्से का दावा करती रही है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में किसी परवर्ती राज्य को किसी प्रकार के एकमुश्त वित्तीय हिस्से के भुगतान के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार महसूस करती है कि हिमाचल प्रदेश को नकद अथवा सामग्री के रूप में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई सवाल नहीं है और राज्य सरकार को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की दखलअंदाजी

6750. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 1994 के गुजराती दैनिक समाचार-पत्र "संदेश" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान कच्छ के सीमावर्ती गावों में दखलअंदाजी कर रहा है और वह सोरक्रीक खाड़ी को हड़पने की साजिश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है तथा पाकिस्तान की आई॰एस॰आई॰ द्वारा गुजरात के तटीय क्षेत्रों को भी भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग करने के उनके नापाक इरादों की जानकारी है।

(ग) सरकार सतर्क है तथा आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने, संबद्ध केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान करने और समन्वित कार्रवाई करने, सामरिक महत्व के स्थानों पर अर्ध-सैनिक बलों की संख्या बढ़ाने और उनको तैनात करने, गश्त बढ़ाने, तटीय और संकरी खाड़ी क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए नौकाओं/मोटर-नौकाओं की आपूर्ति करने, भूमि और तटवर्ती सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने, रात और दिन प्रभावकारी ढंग से निगरानी रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति करने इत्यादि के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

Pending Freedom Fighters Applications

6751. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEEM AFZAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of applications, Statewise of freedom fighters pension pending as on 31st March. 1994; and

(b) by when these eases arc likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) No application received within the prescribed last date. i.e.. 31.3.1982 is pending. Applications received after the prescribed date are treated as delayed applications. A statement indicating state-wise position of such cases as on 31st March, 1994 is attached. *(see* below) The delayed applications arc liable for summary rejection unless the same are accompanied by documentary evidence from official records. Applications received after prescribed last date and review petitions received from time to time are being considered and disposed of on merits, provided they satisfy certain prescribed criteria. This is a continuous process.

Statement

Sl. No.	Name of State	No. of pending applications
1.	Andhra Pradesh	12
2.	Bihar	2
3.	Karnataka	133
4.	Kerala	7
5.	Maharashtra	115
6.	Tamil Nadu	20
	Total:	289